

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001
दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

जरिये ई-मेल

क्रमांक: 1 दि/अनिखा/पर्या/सिलिको-निति/2021/50-107 दिनांक: 9.08.2021

अधीक्षण खनि अभियन्ता वृत-

जयपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/भरतपुर/अजमेर/

भीलवाडा/राजसमन्द/उदयपुर

खनि अभियन्ता वृत- खनि अभियन्ता-

जयपुर/उदयपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/सिरोही/सीकर/अलवर/आमेर/
राजसमन्द प्रथम/द्वितीय/बून्दी-प्रथम/द्वितीय/नागौर/रामगंजमंडी/झुन्झुनू/सोजतसिटी
/भीलवाडा/धौलपुर/बिजौलिया/चित्तौड़गढ़/मकराना/करौली/प्रतापगढ़/ब्यावर/डूंगरपुर/जालौर
/बांसवाडा/श्रीगंगानगर/बाड़मेर/जैसलमेर/भरतपुर

सहायक खनि अभियन्ता-

सलूमबर/शुभदेव/टोंक/बालेसर/निम्बाहेड़ा/कोटपूतली/गोटन/झालावाड़/सवाईमाधोपुर/बांरा/
दौसा/चूर/हनुमानगढ़/नीमकाथाना/रूपवास/सावर

विषय:- शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निदेशालय
विशेष योग्यजन का आदेश क्रमांक 3752 दिनांक 08.7.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस पत्र के साथ शासन के आदेश दिनांक 8.7.2021 की
प्रति आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजाई जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डी.पी.गौड़)

अतिरिक्त निदेशक खान
(पर्यावरण एवं विकास)

क्रमांक: 1 दि/अनिखा/पर्या/सिलिको-निति/2021/108

दिनांक: 9.08.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. डी.एम.जी.ओ.एम.एस को भेजकर लेख है कि इस आदेश की प्रति विभागीय वेब
साइट पर तुरंत प्रभाव से अपलोड की जावे। (संलग्न आदेश दिनांक 8.7.2021)

(डी.पी.गौड़)

अतिरिक्त निदेशक खान
(पर्यावरण एवं विकास)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए. विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

ईमेल-dir.dsap@rajasthan.gov.in फोन न-0141-2222249

क्रमांक : एफ 8() सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/3752

जयपुर, दिनांक 08.07.2021

आदेश

न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) पीड़ित की मृत्यु होने पर न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) पीड़ित के अन्तिम संस्कार हेतु दस हजार रूपये (10,000/-) का भुगतान उक्त मृतक के विधिक उत्तराधिकारी/नामित को किया जायेगा। यह राशि न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) पीड़ित की मृत्यु उपरान्त दी जाने वाली सहायता राशि के साथ ही देय होगी।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102102368 दिनांक 21.06.2021 से प्राप्त सैद्धान्तिक सहमति के क्रम में जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

जयपुर, दिनांक 08.07.2021

क्रमांक : एफ 8()सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/3753-65

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान।
9. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान।
10. निजी सचिव, आयुक्त श्रम विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सचिव, निदेशक खान एवं भूविज्ञान विभाग राजस्थान, उदयपुर।
12. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

Adm (EP)

19/7

श्रीमान् श्रीमान्

(गजानन्द शर्मा)
आयुक्त